HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IV Bail Application No. 16781/2026
CNR: RJHC021022832026 | URN: CRLMB / 30964U / 2026

Praveen @ Monu S/o Surajbhan, R/o Ranasi Majri, Police Station Bawal, District Rewari, Haryana (At Present Confined In Sub Jail Kishangarh Bas)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manjeet Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Rajiv Kumar for Mr.Rahul Sinsinwar

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

18/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह चतुर्थ प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–**मुण्डावर जिला–खैरथल तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **160/2024** अपराध अन्तर्गत धारा 143, 307, 452, 387, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25, 5/27 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत का प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.1.2026 को निरस्त किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.1.2026 को निरस्त हुआ था, जिसमें इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय से प्रकरण का विचारण त्वरित रूप से किए जाने का आग्रह किया

था लेकिन इस आदेश के उपरांत अब तक लगभग 10 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी आरोपों की विरचना नहीं हुई है। उनका तर्क है कि प्रकरण के सह–अभियुक्त मनोज, जिसके साथ परिवादी का विवाद था तथा जिसके विरूद्ध पूर्व के कई आपराधिक प्रकरण संस्थित थे, को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.1.2026 का निरस्त होने के उपरांत परिवादी और प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य समझौता हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.4.2024 से निरन्तर अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रार्थी/अभियुक्त व परिवादी सरजीत के मध्य इस मामले में समझौता हो चुका है, इस कारण उन्हें यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकारे जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

आज परिवादी सरजीत स्वयं भी न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। जिसने न्यायालय के समक्ष प्रकट किया कि उसका प्रार्थी/अभियुक्त के साथ समझौता हो चुका है तथा उसके द्वारा यह समझौता बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से किया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 143, 307, 452, 387, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25, 5/27 आयुध अधिनियम का अभियोग है। उसके विरूद्ध समान प्रकृति के चार अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के बाद प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक 13.1.2026 को निरस्त करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय से प्रकरण का विचारण त्वरित रूप से किए जाने का आग्रह किया था लेकिन इस आदेश के उपरांत अब तक लगभग 10 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी आरोपों की विरचना नहीं हुई है। उक्त तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.1.2026 को निरस्त होने के उपरांत परिवादी व प्रार्थी/अभियुक्त का समझौता हो चुका है तथा प्रकरण के सह–अभियुक्त मनोज, जिसके साथ परिवादी का विवाद था तथा जिसके विरूद्ध पूर्व के कई आपराधिक प्रकरण संस्थित थे, को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। आज परिवादी सरजीत स्वयं भी न्यायालय के समक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित होकर कथन किया कि उसका प्रार्थी/अभियुक्त के साथ समझौता हो चुका है तथा उसे जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.4.2024 से निरन्तर अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं प्रकरण की बदली हुई परिस्थितियों में इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत चतुर्थ जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/50/JITENDRA SINGH PANWAR